पत्रांक : 3 / स्थानान्तरण / पदस्थापन 4--4 / 12--.

**झारखण्ड सरकार**

***जल संसाधन विभाग***

प्रेषक,

मनोज कुमार
अवर सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग / नगर विकास विभाग / मानव संसाधन विकास विभाग / कल्याण विभाग / पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, प्रबंध निदेशक, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची, प्रशासक, सुवर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना जमशेदपुर / सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित) मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष परिक्षेत्र, राँची।

राँची / दिनांक :--

**विषयः--विभागीय आदेश ज्ञापांक सं०--4518 दिनांक 31.08.2012 द्वारा स्थानांतरित / पदस्थापित कनीय अभियंताओं को तीन दिनों के अन्दर निश्चित रूप से विरमित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि विषयान्तर्गत वर्णित आदेश द्वारा जिन कनीय अभियंताओं का स्थानान्तरण किया गया है उनको अंतिम मौका देते हुए तीन दिनों के अन्दर निश्चित रूप से नव पदस्थापन स्थान पर योगदान हेतु विरमित किया जाना है।

जो नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित कनीय अभियंताओं को निर्धारित समय सीमा के अन्दर विरमित नहीं करेंगें वे भी विभागीय आदेश अवहेलना के लिए जिम्मेवार माने जाएंगे एवं उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत विभागीय कार्यवाही चलायी जाएगी।

वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अपने स्तर से विभागीय आदेश अनुपालन हेतु ठोस एवं सार्थक कार्रवायी करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को तुरंत उपलब्ध कराया जाय।

इस पत्र को व्यापक प्रचार--प्रसार हेतु विभागीय वेबसाइट www. wrdjharkhand.nic.in पर भी upload किया जा रहा है।

विश्वासभाजन
ह०/--
**(मनोज कुमार)**
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक राँची, दिनांक :--

प्रतिलिपिः-- विभागान्तर्गत सभी अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

ह०/--
**(मनोज कुमार)**
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक 6684 राँची, दिनांक :-- 23-11-12

प्रतिलिपिः-- वेब मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

23/11/12

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

D:\important\06.11.12\deepak\Manoj Sir(A.S)(Draft)\Kaniya Abhiyanta\08-1-12.doc